

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 168 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी विनय राणा
रजिस्टर्ड कार्यालय:- 6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 14, गुरुग्राम
शाखा कार्यालय:- सीकर (राज.)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. संतोष देवी पत्नि मोहनलाल,

प्रथम पता:- वार्ड नं. 03, गोकुलपुरा, कड़मा का बास, जिला सीकर (राज.)

द्वितीय पता:- खसरा नम्बर 1355/97, 96 राजस्व क्षेत्र गोकुलपुरा, तहसील व
जिला सीकर (राज.)

2. मोहनलाल पुत्र धन्नाराम

प्रथम पता:- वार्ड नं. 03, गोकुलपुरा, कड़मा का बास, जिला सीकर (राज.)

द्वितीय पता:- खसरा नम्बर 1355/97, 96 राजस्व क्षेत्र गोकुलपुरा, तहसील व
जिला सीकर (राज.)

— अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 15 सितम्बर, 2025


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः संतोष देवी पत्नि मोहनलाल एवं मोहनलाल पुत्र धन्नाराम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संतोष देवी पत्नि मोहनलाल के स्वामित्व की

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



बंधक आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो कि खसरा नम्बर 1355/97, 96 राजस्व क्षेत्र गोकुलपुरा, ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4941 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रोड़, पश्चिम दिशा में मोहनलाल की भूमि, उत्तर दिशा में बनवारी का मकान एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल की जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹15,85,100/- रुपये (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख पिच्चासी हजार एक सौ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री हरीश शर्मा उपस्थित हुए हैं, परन्तु सम्पूर्ण बकाया ऋण भुगतान का कोई प्रमाण अथवा दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 12.03.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **संतोष देवी पत्नि मोहनलाल एवं मोहनलाल पुत्र धन्नाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **संतोष देवी पत्नि मोहनलाल** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **भूमि व भवन जो कि खसरा नम्बर 1355/97, 96 राजस्व क्षेत्र गोकुलपुरा, ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 4941 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रोड़, पश्चिम दिशा में मोहनलाल की भूमि, उत्तर दिशा में बनवारी का मकान एवं दक्षिण दिशा में मोहनलाल की जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर